महिलाओं की जागरूकता रंग लाई

गीता गैरोला

सरकार द्वारा करोड़ों रुपया महिलाओं के लिए विकास योजना के नाम पर दिया जाता है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि वास्तव में कितना हिस्सा ज़रूरतमंदों तक पहुंचता है या सही रूप में खर्च होता है। ज़्यादातर लोगों ने इसे वर्तमान ढांचे का हिस्सा मानकर हालात के साथ समझौता कर लिया है। इस या किसी भी भृष्टाचार के खिलाफ़ कोई ठोस कदम जनता की ओर से उठता दिखता भी नहीं है। ऐसे में हिमाचल के भिलंगना क्षेत्र के श्रीकोट गांव की महिलाओं की अपने हक़ों की लड़ाई की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है।

ट्राइसेम योजना के तहत राजेन्द्र पैन्यूली ने जनवरी '92 में श्रीकोट गांव में एक बुनाई-सिलाई केंद्र खोला। इसमें 35 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया। वहां केवल एक बुनाई मशीन और चार सिलाई मशीन थीं। इस केंद्र में कई धांधलेबाजी की गईं।

15 महिलाओं से फार्म भरवाकर प्रत्येक से 110 रु. लिए।

न तो उन्हें सामग्री दी गई, न 60 रु. जो योजना के तहत उन्हें मिलने चाहिए थे मिले।

हर सीखने वाली महिला को 600 रु. मिलने चाहिए थे। उन्हें चार महीने के प्रशिक्षण के बाद केवल 400 रु. दिए गए और टिकट पर साइन भी कराए।

एक महिला लक्ष्मी विष्ट के जाली दस्तख़त किए गए। उसने प्रशिक्षण लिया ही नहीं था, केवल नाम लिखाया था। उसे रुपए भी नहीं मिले।

400 रु. बांटने के बाद जब महिलाएं बाहर आ रहीं थी तो चार महिलाओं से मुन्नी, सुमित्रा, विजया और सरोजनी से राजेन्द्र पैन्यूली की बेटी ममता ने सब रुपए वापस ले लिए।

सिखाने की सामग्री या निर्धारित 60 रु. प्रति शिक्षार्थी भी नहीं दिए गए।

विरोध

सुमित्रा ने उसी समय विरोध किया और रुपए बांटने आए ए.डी.ओ. ज्ञान सिंह नेगी से पूछा कि रुपए किसके हैं? राजेन्द्र पैन्यूली भी साथ में थे। उन्होंने नेगी से कहा कि इस महिला ने हमसे कर्ज़ लिया था, वह वापस लिए हैं।

बाद में महिला मंगल दल की बैठक में इन चारों महिलाओं ने बात उठाई। अनामिका देवी, जो महिला सामाख्या की सखी भी हैं और राजेन्द्र पैन्यूली की पत्नी भी, ने कहा कि यह रुपए मशीनों की टूट-फूट के हैं और इन्हें वापस नहीं किया जाएगा।

10 जून को महिला सामाख्या के कार्यालय में सहयोगिनी बैठक में लक्ष्मी ने गांव की समस्या रखी। 11 जून को लगभग 10 महिलाएं धनशाली ब्लॉक कार्यालय में गईं। वहां अधिकारी नहीं मिले मगर एक जूनियर अधिकारी से बी.डी.ओ. के नाम पत्र ले लिया।

बाद में महिलाओं की बैठक हुई। अनामिका भी वहां थीं। उन्होंने कहा कि मशीनों की मरम्मत के बाद जो पैसा बचेगा लौटा दिया जाएगा। बैठक में महिलाओं ने कुछ सामूहिक फैसले लिए।

1. अनामिका देवी महिला सामाख्या में सखी-पद पर काम नहीं कर सकतीं क्योंकि उन्होंने महिलाओं को उनके हकों के बारे में जागरूक करने के बजाए उनके शोषण में भागीदारी निबाही।
2. एक पत्र सभी महिलाओं की ओर से खंड विकास अधिकारी को लिखा गया। जिसकी प्रतिलिपि डी.एम., ए.डी.एम., महिला सामाख्या कार्यालय तथा ब्लॉक प्रमुख को भेजी गई।
3. योजना की पूरी जानकारी उन्हें दी गई।

(क) बुनाई केन्द्र में एक मशीन पर सिर्फ 3 महिलाएं सीख सकती हैं।

(ख) प्रशिक्षण का पंजीकरण उद्योग विभाग द्वारा होना चाहिए।

(ग) प्रत्येक सीखने वाली महिला को 150 रु. प्रति माह 'स्टाइपेंड' मिलता है।

(घ) सिखाने वाली महिला को प्रति शिक्षार्थी 50 रु. मिलते हैं।

(ङ) सिखाने की सामग्री या 60 रु. हर शिक्षार्थी को मिलने चाहिए।

(च) सीखने के बाद यदि कोई महिला सिलाई मशीन के लिए कर्ज़ा लेना चाहती है तो वह उसे मिल सकता है।

बैठक से वापसी में शाम को बी.डी.ओ. के दफ्तर गए। वह वहां नहीं थे मगर ज्ञान सिंह नेगी से मिलना हुआ। उन्होंने यह बात मानी कि 200 रु. महिलाओं को कम दिए गए हैं। वह उन्हें दिए जाएंगे। राजेन्द्र पैन्यूली से भी चारों महिलाओं के रुपए वापस दिलवाएंगे। उनका कहना है कि राजेन्द्र पैन्यूली ने उन्हें फुसलाया। अब देखना है कि ए.डी.ओ. नेगी अपनी बात कहां तक निभाते हैं। महिलाएं आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं।

हठ लड़के का और लड़की का

एक था सेठ, मोटा व्यापारी। उसके थे एक बेटा और एक बेटी। सेठ ने बेटे के लिए सोने की लुटिया बनवा दी और बेटी के लिए सोने की चेन। सेठ के पास एक हाथी और मैना भी थे।

एक दिन बेटा हठ कर बैठा कि हाथी को लुटिया में रखो। सेठ ने प्यार से समझाया पर वह कहां बात सुनने वाला था। बेटी थी समझदार। भला, इतना बड़ा हाथी छोटी सी लुटिया में कैसे समा सकता है। बोली, "बाबा, मुझे मैना दे दो।" पिता ने लड़िया कर पूछा, "बेटी मैना का क्या करेगी?"

"बाबा पिंजड़ा खोलकर उसे उड़ाउंगी। वह मीठा-मीठा गाना गाएगी।"

सेठ—"पर मैना तो उड़ जाएगी।"

बेटी—"मैं भी तो मैना के साथ उड़ूंगी।"

सेठ ने गंभीर होकर बेटी को गोदी से उतार दिया और नौकरानी को आदेश दिया—"बेटी को गढ़ी के भीतर ही रखा करो।" बेटी ताज्जुब में कि उसने कौन-सी अनहोनी बात कह दी।

इसके बाद सेठ ने महावत को बुलाकर कहा, "इस नालायक हठीले को ले जाओ। इलाके की सैर करा दो। दोनों का हठ नहीं मानना है।"

कुछ सवाल

1. बेटे और बेटी की सज़ा में क्या फ़र्क है?
2. यह भेदभाव कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है? यह सही है या गलत?
3. इसका असर कहां तक उनकी जिंदगियों पर होता है? □